

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- धार जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत टाण्डा-बलवारी मार्ग के उन्नयन/
चौड़ीकरण हेतु 0.9884 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को
उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 030/2022-BHO दिनांक 13.02.2023 .

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति
पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की
लागत राशि रु0 38,50,000/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 27.03.2023
को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर
दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम,
1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये
9,46,670/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 27.03.2023 को ऑनलाईन
जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई
दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 27.03.2023 को जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत
क्लेक्टर धार का प्रमाण पत्र दिनांक 14.03.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति
संलग्न है।
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

9- शर्त क्रमांक (9) का पालन किया जावेगा।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्था को शर्त मान्य है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में वन विभाग सहमत है।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन की राशि रु. 3,85,000/- वन मण्डल धार में जमा की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

5- शर्त क्रमांक (5) एवं (6) के पालन में आवेदक संस्था को शर्त मान्य है।

6- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि यह मार्ग राज्य राजमार्ग (SH) है, जिसमें Central verg नहीं होता है। वन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय भूमि, पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र आदि में वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।

7- शर्त क्रमांक (8) से (16) के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1137/2022/10-11/1900

भोपाल, दिनांक 11/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार, मध्यप्रदेश।
3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

